

सचिव
राज्यपाल, राजस्थान



राज्यपाल सचिवालय, राजभवन
जयपुर - 302 006
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक: एफ.1(2)आर.बी./2021/पार्ट-2/1429
दिनांक: 12 मार्च, 2024

कुलपतिगण,
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.) के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र संख्या ई-1409/जी.एस. दिनांक 29.02.2024 "सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.) के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में" की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
11/3/24

(गौरव गोयल)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

संख्या : ई-1469/जी0एस0
दिनांक : फरवरी 29, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,


उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-1398/2024, दिनांक फरवरी 28, 2023 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,



(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

h

राज भवन, लखनऊ

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-1398/2024

दिनांक : फरवरी 28, 2024


सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा-12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 29 मार्च, 2024 तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।



अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF
VICE CHANCELLOR FOR SIDDHARTH UNIVERSITY,
KAPILVASTU, SIDDHARTHANAGAR (U.P.)**

Advt. No. E-1398/2024

Dated : March 28, 2024


It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Siddharth University, Kapilvastu, Siddharthnagar (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application **Online only** in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before **29th March, 2024**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.



**Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.**